

तारीख हुक्म

15.05.2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

वकील पक्षकारान उप० प्रा०पत्र ०१आर१० वादी पर बहस सुनी जाकर उक्त प्रा०पत्र स्वीकार किया गया। वकील पक्षकारान ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हिरसेनुसार सीमाएं कायम नहीं होने से उभय पक्षों में विवाद है तथा वकील पक्षकारान द्वारा उस वाल की सहमति दी कि उक्त प्रकरण में रास्ते का नाम जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार किया जाता है। तो उभय पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना निर्णित किया जाकर निर्णय पृथक से टंकण करवाया जाकर शामिल मिसल हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सुप्रीम अधिकारी  
सौभर लेल